भारत के कौशल परिदृश्य का रूपांतरण

स्किल इंडिया क्यों?

स्किल इंडिया का लक्ष्य सभी भारतीयों को स्वयं के लिए और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की आकांक्षा करने और उसे हासिल करने का अवसर प्रदान करना है। जन-सांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक घटकों के एक समीकरण ने कौशल विकास को भारत के लिए एक तात्कालिक नीति प्राथमिकता बना दिया है।

चुनौती अत्यंत व्यापक है। भारत की 54 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और 62 प्रतिशत आबादी काम करने के आयु समूह के अंतर्गत आती है। इसके बावजूद, भारत की आबादी में केवल 4.69 प्रतिशत लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। 2025 तक दुनियाभर के काम करने योग्य आबादी समूह में प्रत्येक 5 लोगों में 1 व्यक्ति (18.3 प्रतिशत) भारतीय होगा। कौशल अंतराल से संबंधित अद्यतन रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि 2022 तक अकेले भारत में, 24 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि सहित 10.9 करोड़ मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। भारत के 93 प्रतिशत कार्मिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अनौपचारिक माध्यमों से कौशल प्राप्त करते हैं और उन्हें औपचारिक प्रमाणपत्र भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न है कि भारत की कौशल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी को कैसे इन विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए?

भारत में पहली बार जुलाई, 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग की स्थापना की गई ताकि उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा सके। नवंबर, 2014 में जब श्री राजीव प्रताप रूड़ी को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, तो इस विभाग को एक पूर्ण मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के रूप में प्रोन्नत किया गया। एमएसडीई इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है कि भारत में गति एवं आकार के अनुसार कौशल विकास के प्रयासों के लिए सुदृढ़ नीति फ्रेमवर्क और कार्य योजना विकसित की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण

परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। इस आलेख में देश में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता पारिस्थितिकी की मज़बूत बुनियाद रखने के लिए एमएसडीई द्वारा पिछले 9 महीनों में किए गए कुछ प्रमुख उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में सुदृढ़ कौशल परिदृश्य का निर्माण: महत्वपूर्ण उपाय

कौशल विकास के लिए एमएसडीई का नीति विन्यास निम्नांकित पहलुओं पर आधारित है, अर्थात् समन्वय, निजी क्षेत्र भागीदारी, उद्यमिता संपर्क, समानता आदि। इनमें से पहला घटक यह स्पष्ट करता है कि एमएसडीई की भूमिका कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, समन्वय और उन्हें समाभिरूप बनाने की होगी। दूसरा घटक कौशल विकास के क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को उत्प्रेरित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के साथ जोड़ने से सम्बद्ध है। कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को साथ-साथ आगे बढ़ाना है। कौशल प्रशिक्षण उपायों के जरिए रोजगार चाहने वालों और रोजगार के अवसर पैदा करने वालों का एक ऐसा पूल तैयार करने की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सके। यह महत्वपूर्ण बात है कि कौशल प्रशिक्षण उपायों के प्रमुख लाभार्थियों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों को प्रमुख स्थान दिया जाए। एमएसडीई की पिछले कुछ महीनों की गतिविधियां इन सिद्धांतों से निर्देशित रही हैं।

<u>स्पष्ट नीति फ्रेमवर्क की स्थापना: नीति, मिशन, सामान्य मानदंड</u>

एक नए मंत्रालय के रूप में एमएसडीई के प्रारंभिक कार्यों में से एक यह था कि भारत में कौशल विकास के लिए एक स्पष्ट नीति फ्रेमवर्क कायम किया जाए। एमएसडीई द्वारा तीन प्रमुख नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति-2015 का निर्धारण शामिल है, जिसमें अपेक्षित गति और पैमाने पर कौशल विकसित करते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करना; अखिल भारतीय स्तर पर कौशल संबंधी गतिविधियों के समाभिरूपण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना, और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए समान मानदंड तय करना शामिल है। सभी तीनों नीति दस्तावेज कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 15 जुलाई को 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नीति एवं मिशन का औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया। भारत में अब देशभर में कौशल विकास प्रयासों को मूर्तरूप देने के लिए एक सुदृढ़ नीतिगत फ्रेमवर्क है। नीति निर्धारण के बाद, एमएसडीई एक सशक्त कार्य योजना विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

कार्य योजना का विकास: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), आईटीआई संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, कार्यनीतिक भागीदारी, एनएसडीसी और एनएसडीए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), एमएसडीई के प्रमुख परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम का एक प्रायोगिक चरण 25 मई, 2015 को शुरू किया गया था। पीएमकेवीवाई का लक्ष्य युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षणों के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदाता के साथ मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रत्येक युवा को नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीएमकेवीवाई भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले एक वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें से 14 लाख प्रशिक्षार्थी नए होंगे। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 50 हजार विकलांगजनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई के तहत 'पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता' (आरपीएल) जैसे उपाय के जरिए उन युवाओं को मूल्यांकन के बाद प्रमाणपत्र दिए जाएंगे जिनके पास औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं है। अधिसंख्य युवा भारतीयों के कौशल को पहचानने और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो अभी तक अनौपचारिक माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत इस वर्ष 31 जुलाई तक, 25 प्रतिभागी एसएससीज़ 29 राज्यों और 4 संघशासित प्रदेशों में 196 प्रकार के व्यवसायों के लिए 2.12 लाख उम्मीदवारों का प्रजीकरण कर चुके थे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जो पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत थे, इस वर्ष अप्रैल में एमएसडीई में स्थानांतरित कर दिए गए। इन संगठनों के जीर्णोद्धार के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इनमें उनके पाठ्यक्रम का

उन्नयन (उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से), उद्योगों के साथ उनका संबंध सुदृढ़ करना, प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना, आईटीआई संस्थानों में उपकरणों एवं सुविधाओं का आधुनिकीकरण जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वाममार्गी उग्रवाद पीड़ित 34 जिलों में 34 आईटीआई संस्थान और 68 कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इन उपायों का लक्ष्य आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना है कि आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थी रोजगार सक्षम बन सकें।

एमएसडीई और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के बीच **कार्यनीतिक भागीदारी** भी शुरू की गई है ताकि विशेष क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में सहयोग किया जा सके। एमएसडीई ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इस्पात, खान, रेलवे, रक्षा और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग, उर्वरक विभाग, फार्मास्युटिकल विभाग) के साथ कार्यनीतिक भागीदारी कायम की है। कार्यनीतिक भागीदारियों के जरिए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सम्बद्ध संविदाकारों को प्रेरित किया जाएगा कि वे एनएसक्यूएफ से सम्बद्ध व्यवसाय भूमिकाओं में प्रमाणित श्रमिकों को रोजगार प्रदान करें और कौशल प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए निर्धारित धन का इस्तेमाल करें तथा डीजीटी अथवा एनएसडीसी के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें। इन मंत्रालयों/विभागों के मंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री, कई मुख्यमंत्री और सरकारी, शैक्षिक, उद्योग संगठनों आदि से सम्बद्ध पक्षों ने भी 15 जुलाई को 'स्किल इंडिया' के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारत के युवाओं को प्रशिक्षित बनाने में एमएसडीई के साथ भागीदारी की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये भागीदारियां प्रत्येक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की, मंत्रालय की स्थापना से भी पहले, कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनएसडीसी अब एमएसडीई का कार्यान्वयन विभाग है। यह 235 प्रशिक्षण भागीदारों और 38 मान्यता प्राप्त सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससीज़) के नेटवर्क के जरिए काम कर रहा है। एनएसडीसी की समूची पारिस्थितिकी प्रणाली जुलाई 2015 तक 55 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) भी मंत्रालय का एक हिस्सा है जो एक मानक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। एजेंसी यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है कि कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हो और गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था काम करती रहे। अभी तक एनएसडीए 28 विभिन्न व्यवसायों में 1226 योग्यता पाठ्यक्रमों का अनुमोदन कर चुकी है। यह एजेंसी आरपीएल यानी पूर्व प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

कुल मिला कर एनएसडीसी और एनएसडीए आकार और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एमएसडीई के कौशल विकास लक्ष्य के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, एमएसडीई कार्यक्रम कार्यान्वयन, निगरानी और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि उच्च मानक और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियां कायम की जाएं। यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र, उद्योग संगठन, प्रशिक्षण प्रदाता और सरकारी संस्थान सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और देश में कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढावा देने में सहयोग कर रहे हैं। ये उपाय उद्योग जगत की मानव संसाधन संबंधी जरूरतें पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और इनसे विकास को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपायों से भारत के महत्वाकांक्षी युवाओं को स्थिर रोजगार के अवसर और स्थायी आजीविका प्रदान करने में मदद मिलेगी।